



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 पौष 1943 (श0)

(सं0 पटना 1037) पटना, मंगलवार, 28 दिसम्बर 2021

श्रम संसाधन विभाग (श्रम पक्ष)

आदेश

27 दिसम्बर 2021

सं० का0आ0सं0-2/ई3-258/2018/श्र0सं0-3944—माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 सं0-32079/2015 में पारित न्यायादेश के अनुपालन में मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन से निर्गत शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-477 दिनांक-25.02.2020 के आलोक में अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों को अधिकतम उम्र सीमा को क्षांत करते हुए निम्नलिखित अनुदेशक को समायोजित करते हुए समूह-‘घ’ (कार्यालय परिचारी) के पद पर श्रमायुक्त, बिहार के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालय में वेतन स्तर-1 प्रारंभिक वेतन 18000/- (18000-56900/-) में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों सहित नितांत अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है :-

क्र० सं०	भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	वास्तविक जाति/कोटि	अनुशंसित कोटि	गृह जिला	पदस्थापन का कार्यालय
1	2	3	4	5	5	6	7
1	मो० जुनेद आलम	मो० सईदूरहमान	02.01.1969	BC-2	General	पूणियाँ	सहायक श्रमायुक्त का कार्यालय, पूणियाँ प्रमण्डल, कटिहार

- इनकी नियुक्ति नितांत अस्थायी होने के कारण बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जासकती है।
- समायोजन हेतु अधिकतम उम्र सीमा क्षांत की जाती है (संकल्प सं0-945 दिनांक-27.04.2017 का कांडिका-‘घ’ के आलोक में)।

4. योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1919, दिनांक-18.01.1976 के अनुपालन में योगदान के समय दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा-पत्र साथ ही संज्ञेय अपराध में सजायाफता नहीं रहने एवं किसी भी न्यायालय में किसी तरह का मामला लंबित नहीं रहने संबंधी अद्यतन शपथ पत्र भी संलग्न करना होगा।
6. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली-2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं0-1964, दिनांक-31.08.2005, एवं 768, दिनांक-03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नई अंशदायी पेंशन योजना (N.P.S) लागू होगी।
7. यह नियुक्ति जन शिक्षा निदेशालय, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना से अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों के समूह-‘घ’ के पदों पर समायोजन हेतु प्राप्त अनुशंसा एवं अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों के आधार पर किया जा रहा है यदि कोई प्रमाण-पत्र या संबंधित कागजात किसी भी दृष्टिकोण से सम्पुष्टि के क्रम में असत्य या त्रुटिपूर्ण पाया जायेगा तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी और वेतनादि मद में प्राप्त की गयी राशि की वसूली के साथ-साथ फौजदारी मुकदमा भी चलाया जा सकता है।
8. शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-477 दिनांक-25.02.2020 के निर्गत किये जाने की संपुष्टि निदेशक, जन शिक्षा-सह-अपर सचिव, बिहार, पटना से होने के उपरान्त नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है।
9. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्र0सु0 विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प सं0-2082, दिनांक-01.04.2003 के अनुपालन में प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. मो0 जुनेद आलम पदस्थापित कार्यालय में अपना योगदान नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर समर्पित करेंगे।
11. मो0 जुनेद आलम को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/ योगदान हेतु पदस्थापित स्थान पर आने जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

आदेश से,
रंजिता,
श्रमायुक्त, बिहार।

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।**
बिहार गजट (असाधारण) 1037-571+10-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>